राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 715वी बैठक दिनांक 25.03.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 715वीं बैठक दिनांक 25.03.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / SEIAA में विचाराधीन	प्राधिकरण का निर्णय
1.	8958 / 2022	1(a) B1	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	8272 / 2021	1(a) B1	लाइम स्टोट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
3.	8292 / 2021	1(a) B1	डोलोमाईट , सोप स्टोन एवं क्वार्टज खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
4.	8927 / 2021	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
5.	2141 / 2014	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
6.	8826 / 2021	1(a) B2	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
7.	9078 / 2022	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
8.	6113 / 19	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
9.	6400 / 19	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
10.	9073/ 2022	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
11.	7231 / 2020	1(a) B2	पत्थर खदान	For Relist	Relisted
12.	8491 / 2021	1(a) B1	पत्थर खदान	For Relist	Relisted
13.	7230 / 2020	1(a) B1	पत्थर खदान	For Relist	Relisted
14.	7229 / 2020	1(a) B1	पत्थर खदान	For Relist	Relisted
15.	6197 / 2019	1(a) B1	पत्थर खदान	For Relist	Relisted
16.	8396 / 2021	1(a) B2	मुरूम खदान	For Relist	Relisted
17.	8694 / 2021	1(a) B2	पत्थर खदान	For Relist	Relisted
18.	8858 / 2021	1(a) B2	फर्सी पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

19.	8904/2021	1(a) B2	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
20.	8753/2021	1(a) B1	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
21.	8308/2021	1(a) B2	लाईम स्टोन खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
22.	8923/2021	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
23.	7446/2020	1(a) B2	पत्थर खदान	निरस्त प्रकरण मे पुर्नविचार	निरस्त
24.	9076/2022	1(a) B2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
ब.	**अतिरिक्त एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से SEAC द्वारा अनुशंसित प्रकरण –**				
25.	9046/2022	8(a) B2	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
26.	6350/2019	1(a) B1	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत

1. **प्रकरण कमांक 8958/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कैलाशी बाई यादव पत्नि श्री अमर सिंह यादव, निवासी 799/2, यादव मोहल्ला, खुजनेर, जिला राजगढ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 5000 घन मीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 821/2, रकबा 1.20 हेक्टेयर, ग्राम खुजनेर, तहसील खुजनेर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

प्रकरण मे सिया की 709 वी बैठक दिनांक 07.03.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खनन क्षेत्र से 180 मीटर पर रोड़, 350 मीटर पर आबादी एवं खदान क्षेत्र में 04 बृक्ष होना परिलक्षित है। परियोजना प्रस्तावक के ईमेल द्वारा प्रस्तुत खनन योजना में किये गये संशोधन अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग न करते हुये रॉक ब्रेकर द्वारा उत्खनन किया जायेगा का उल्लेख किया गया है।

प्रकरण में उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा उपरांत प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 17.03.2022 के माध्यम से समिति के समक्ष पर्यावरण सलाहकार सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निवेदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक श्री अमर सिंह यादव एवं उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार ग्रीन सर्कल आईएनसी, बड़ोदरा (श्री शिशुपाल वर्मा) द्वारा प्रकरण में प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 की अनुशंसा को

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

आंशिक रूप से मान्य करते हुए सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं करेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 04 जीवित पेड़ों में से 03 पेड़ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत काटे जायेंगे एव इसके एवज में 30 अतिरिक्त पौधों का रोपण किया जायेगा एवं उसका रखरखाव किया जाये।

III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1500 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम खुजनेर के शासकीय स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत व रंग रोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम पंचायत के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिबद्धता अनुसार किया जायें।

साथ ही; परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कैलाशी बाई यादव पत्नि श्री अमर सिंह यादव, निवासी 799/2, यादव मोहल्ला, खुजनेर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 5000 घन मीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 821/2, रकबा 1.20 हेक्टेयर, ग्राम खुजनेर, तहसील खुजनेर, जिला राजगढ़ (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), राजगढ़ के पत्र क. 1480 दिनांक 30.11.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.11.2031 तक मान्य रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. **प्रकरण कमांक 8272/2021 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स करम चन्द्र एसोसियेट, प्रोपराईटर श्री संदेश कुमार जैन, निवासी सिविल लाईन, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 500940 टन प्रति वर्ष, खसरा नं. 75/1 भाग, 75/2 भाग, 74भाग, 100 भाग,, 103/1भाग, 103/2भाग, 103/3भाग, 134 भाग, 135भाग, रकबा 26.570 हेक्टेयर, ग्राम सलैया पहराई, तहसील विजयराघवगढ़, जिला दतिया (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।**

प्रकरण मे सिया की 709 वी बैठक दिनांक 07.03.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा दी गई पर्यावरणीय संवेदनशीलता की जानकारी अनुसार खदान क्षेत्र से 30 मीटर, 60 मीटर, 140 मीटर पर आबादी एवं प्रस्तावित खदान क्षेत्र में 3 पिट का होना तथा पिट के समीप कई वृक्ष के होने का उल्लेख किया गया है।

उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता और माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है) के दृष्टिगत प्रकरण में विस्तृत चर्चा उपरांत प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 20.03.2022 के माध्यम से समिति के समक्ष पर्यावरण सलाहकार सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निवेदन किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार सहित SEIAA की आगामी बैठक में प्रकरण से संबंधित उपरोक्त मुद्दों पर स्पष्टीकरण उपस्थित होना सुनिश्चित करें। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें।

3. **प्रकरण कमांक 8292/2021 – परियोजना प्रस्तावक श्री प्रताप सिंह चौहान, एम.आई.जी. 2/12, जैन मंदिर के पीछे, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट, सोपस्टोन एवं क्वार्टज खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 23546 घनमीटर प्रतिवर्ष (62396 टन प्रति वर्ष), खसरा नं. 621, 634, 635, 636, 637, 638 रकबा 2.911 हेक्टेयर, ग्राम भदावर, तहसील वड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।**

प्रकरण मे सिया की 709 वी बैठक दिनांक 07.03.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा दी गई पर्यावरणीय संवेदनशीलता की जानकारी अनुसार खदान क्षेत्र से 55 मीटर पर आबादी एवं प्रस्तावित खदान क्षेत्र में 2 पीट का होना का उल्लेख किया गया है।

उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता और माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है) के दृष्टिगत प्रकरण में विस्तृत चर्चा उपरांत प्राधिकरण

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 20.03.2022 के माध्यम से समिति के समक्ष पर्यावरण सलाहकार सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निवेदन किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार सहित SEIAA की आगामी बैठक में प्रकरण से संबंधित उपरोक्त मुद्दों पर स्पष्टीकरण उपस्थित होना सुनिश्चित करें। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें।

4. **प्रकरण क्र. 8927/2021** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खाटू श्याम जी मिनरल्स, प्रोपराईटर, श्री विकेश शर्मा, डांग रोड़, रीठी, जिला कटनी (म.प्र.)–483990 द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2082 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.80 हेक्टेयर, खसरा 1278/1, भाग, 1279 भाग, ग्राम डांग़, तहसील रीठी, जिला कटनी (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण मे सिया की 708 वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्र. 5503 दिनांक 12.11.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत नहीं होना उल्लेखित है यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार 02 अन्य खदान और परिलक्षित है। इस प्रकार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदाने हैं। इस कारण आवेदित प्रकरण बी–1 अथवा बी–2 श्रेणी का है यह स्पष्ट नहीं होता है। अतः खनिज अधिकारी, कटनी से 15 दिवस की अवधि में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त किया जाने का निर्णय लिया गया। प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 10.03.2022 के माध्यम से कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी का पत्र क. 785 दिनांक 09.03.2022 सिया को प्रेषित किया गया है जिसके अनुसार वर्तमान में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 547वी बैठक दिनांक 09.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले जलाशय से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम **100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2160 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम डांग एवं टिघराखुर्द के शासकीय मिडिल स्कूल में पीनें के पानी की उचित व्यवस्था हेतु 02 नग Stainles Steel plain and Cold Water cooler with 50 LPH Commercial RO Water Purifier की स्थापना की जाये।
- ग्राम डांग के शासकीय मिडिल स्कूल में 05 ब्लैक बोर्ड, 05 केरम बोर्ड एवं 01 बॉलीवाल सेट स्कूल की आवश्यकता अनुसार प्रेदाय किया जायें।
- ग्राम पंचायत के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिबद्धता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खाटू श्याम जी मिनरल्स, प्रोपराईटर, श्री विकेश शर्मा, डांग रोड़, रीठी, जिला कटनी (म.प्र.)–483990 द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2082 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1. 80 हेक्टेयर, खसरा 1278/1, भाग, 1279 भाग, ग्राम डांग़, तहसील रीठी, जिला कटनी (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी का पत्र क्र. 4755 दिनांक 08.09.2021 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.09.2031 तक मान्य रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5. **प्रकरण क्र. 2141/2014 : परियोजना प्रस्तावक श्री आलोक सक्सेना, निवासी– जवाहर रोड़, नौगॉव, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 53378 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 119, ग्राम लहेरा, तहसील –छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स सियराम सरकार ओर्स, संचालक श्रीमती समिता नीखरा, फ्लैट नम्बर 301, द्वितीय तल, प्लाट नं. 07, हरिओर कॉलोनी, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।**

प्रकरण मे सिया की 696 वी बैठक दिनांक 10.12.21 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं एसईआईएए में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 07.03.2022 को July - Dec 2015 to July-Dec 2021 तक का पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन MPSEIAA को प्रस्तुत किया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार उपरांत सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Delist किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से अभिप्रमाणित कराकर सिया कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण में विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधितों को सुचित किया जायें।

6. **प्रकरण क्र. 8826/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री जगन्नाथ आत्मज श्री मोहनलाल, निवासी हॉल मुकाम, रोनीजा रोड़, बडनगर, जिला उज्जैन (म.प्र) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 6717 से 19500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 623, ग्राम मौलाना़, तहसील बड़नगऱ, जिला उज्जैऩ (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

प्रकरण मे सिया की 696 वी बैठक दिनांक 10.12.21 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति मे निहित शर्तो का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन अनुसार वृक्षारोपण का निर्धारित लक्ष्य जिसके अंतर्गत 45 पौधों का रोपण किया जाना था, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा मात्र 10 से 15 पौधों का ही रोपण किया गया उल्लेखित है।

अतः उक्त प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन को Delist करने का निर्णय लिया गया एवं पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति मे निहित शर्तो अनुसार अनुपालन व वृक्षारोपण का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण कर छायाचित्र मय आक्षांश – देशांश SEIAA में प्रस्तुत करने के उपरांत उक्त प्रकरण को Relist किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 14.03.2022 के माध्यम से वृक्षारोपण का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण कर छायाचित्र मय आक्षांश – देशांश SEIAA में प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में की गई प्रतिबद्धता अनुसार वृक्षारोपण का शेष लक्ष्य (300 पौधों का रोपण) पूर्ण कर फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांस एवं स्थान के नाम सहित प्रस्तुत किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 9078/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री वाजिद अली आत्मज श्री रज्जव अली, निवासी – राजाबाबू कॉलोनी, बेनी सागर, जिला पन्ना (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 17670 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 1299, ग्राम घूरा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स उप्पल माईनिंग प्रा.लि., संचालक श्री गौरव उप्पल, निवासी–सिविल लाईन्स बोरदा रोड़, हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 17670 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 1299, ग्राम घूरा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र) परियोजना प्रस्तावक श्री वाजिद अली आत्मज श्री रज्जव अली, निवासी – राजाबाबू कॉलोनी, बेनी सागर, जिला पन्ना (म.प्र) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 1425/डीईआईएए/15 दिनांक 24.09.2015 के माध्यम से श्री वाजिद अली आत्मज श्री रज्जव अली, निवासी – राजाबाबू कॉलोनी, बेनी सागर, जिला पन्ना (म.प्र) के नाम पर जारी की गई है।

(3) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री वाजिद अली आत्मज श्री रज्जव अली, निवासी – राजाबाबू कॉलोनी, बेनी सागर, जिला पन्ना (म.प्र) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स उप्पल माईनिंग प्रा.लि., संचालक श्री गौरव उप्पल, निवासी–सिविल लाईन्स बोरदा रोड़, हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स उप्पल माईनिंग प्रा.लि., संचालक श्री गौरव उप्पल, निवासी–सिविल लाईन्स बोरदा रोड़, हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 1425/डीईआईएए/15 दिनांक 24.09.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 2095 दिनांक 05.07.2021 (वैधता 06.09.2027 तक) की प्रति।

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- *A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases*

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1425/डीईआईएए/15 दिनांक 24.09.2015 के माध्यम से श्री वाजिद अली आत्मज श्री रज्जव अली, निवासी – राजाबाबू कॉलोनी, बेनी सागर, जिला पन्ना (म.प्र.) के नाम पर पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 17670 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 1299, ग्राम घूरा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स उप्पल माईनिंग प्रा.लि., संचालक श्री गौरव उप्पल, निवासी–सिविल लाईन्स बोरदा रोड़, हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) के नाम इस शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 24.09.2015 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेगी।

I. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

8. प्रकरण क्र. 6113/2019 परियोजना प्रस्तावक श्री मलखान सिंह निवासी– हाल मुकाम, ए.एम. 111, डी.डी. नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 50844 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.25 हेक्टेयर, खसरा 4174, ग्राम पारसेन, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स गुरू कृपा स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री विशम्भर दयाल, निवासी– म.नं. 29, छत्ता मोहल्ला, भरतनगर, राजस्थान के नाम पर करने हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री मलखान सिंह द्वारा मेसर्स गुरू कृपा स्टोन क्रेशर के नाम जारी अनापत्ति के संबंध में श्री मलखान सिंह द्वारा शपथ पत्र दिनांक 07.12.2020 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित न किये जाने का लेख किया गया है। अतः पूर्व परियोजना प्रस्तावक को **SEIAA** की आगामी बैठक में दी गई अनापत्ति के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु बुलाया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. 6400/2019 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरजीत सिंह, निवासी– हाल मुकाम, ए.एम. 111, डी.डी. नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 57000 घनमीटर प्रथम तीन वर्ष एवं 41610 घनमीटर अगले दो वर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 4173, ग्राम पारसेन, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स गुरू कृपा स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री विशम्भर दयाल, निवासी– म.नं. 29, छत्ता मोहल्ला, भरतनगर, राजस्थान के नाम पर करने हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री सुरजीत सिंह द्वारा मेसर्स गुरू कृपा स्टोन क्रेशर के नाम जारी अनापत्ति के संबंध में श्री सुरजीत सिंह द्वारा शपथ पत्र दिनांक 07.12.2020 के मांध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित न किये जाने का लेख किया गया है। अतः पूर्व परियोजना प्रस्तावक को **SEIAA** की आगामी बैठक में दी गई अनापत्ति के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु बुलाया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 9073/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री बृजनारायण शर्मा आत्मज श्री वृन्दावन शर्मा, निवासी– ग्राम बहेरिया उर्फ रूपनगर, तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 6840 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.448 हेक्टेयर, खसरा 12, 34/2/मिन–1, ग्राम मन्हेटी, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स राधारानी स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री अमन यादव, म.नं. 269/1, ग्राम खतौरा बदरवास, जिला शिवपुरी, (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 6840 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.448 हेक्टेयर, खसरा 12, 34/2/मिन–1, ग्राम मन्हेटी, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र) परियोजना प्रस्तावक श्री बृजनारायण शर्मा

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

आत्मज श्री वृन्दावन शर्मा, निवासी– ग्राम बहेरिया उर्फ रूपनगर, तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर (म.प्र) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 67/डीईआईएए/17 दिनांक 25.11.2017 के माध्यम से श्री बृजनारायण शर्मा आत्मज श्री वृन्दावन शर्मा, निवासी– ग्राम बहेरिया उर्फ रूपनगर, तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर (म.प्र) के नाम पर जारी की गई है।

(3) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री बृजनारायण शर्मा आत्मज श्री वृन्दावन शर्मा, निवासी– ग्राम बहेरिया उर्फ रूपनगर, तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर (म.प्र) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राधारानी स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री अमन यादव, म.नं. 269/1, ग्राम खतौरा बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स राधारानी स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री अमन यादव, म.नं. 269/1, ग्राम खतौरा बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 67/डीईआईएए/17 दिनांक 25.11.2017 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 551 दिनांक 24.09.2019 (वैधता 12.04.2028 तक) की प्रति।

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- *A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases*

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 67/डीईआईएए/17 दिनांक 25.11.2017 के माध्यम से श्री बृजनारायण शर्मा आत्मज श्री वृन्दावन शर्मा, निवासी– ग्राम बहेरिया उर्फ रूपनगर, तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर (म.प्र.) के नाम पर पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 6840 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.448 हेक्टेयर, खसरा 12, 34/2/मिन–1, ग्राम मन्हेटी, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स राधारानी स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री अमन यादव, म.नं. 269/1, ग्राम खतौरा बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) के नाम इस शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 25.11.2017 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेगी।

I. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

11. प्रकरण क्र. 7231/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री सनी गोयल आत्मज श्री मोतीलाल गोयल, निवासी– हरियाणा भवन, पन्ना नाका, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.974 हेक्टेयर, खसरा 10/1, 10/2, 12/1, 12/2/1, 12/3, 12/4, ग्राम बराज, तहसील नागोद, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण मे सिया की 712वी बैठक दिनांक 10.03.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 556वी बैठक दिनांक 02.03.2022 में उक्त प्रकरण को Delist किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से SEAC की 556वी बैठक दिनांक 02.03.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्ररकण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया, तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 21.03.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. **प्रकरण क्र. 8491/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री शुभम गोयल, निवासी– हरियाणा भवन, पन्ना नाका, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.70 हेक्टेयर, खसरा 267/2, 268/1ख, 268/2, 271/ग/1, 271/1/ग/2, ग्राम बडहाव उबरी, तहसील नागोद, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

प्रकरण मे सिया की 712वी बैठक दिनांक 10.03.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 556वी बैठक दिनांक 02.03.2022 में उक्त प्रकरण को Delist किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से SEAC की 556वी बैठक दिनांक 02.03.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्ररकण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया, तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 21.03.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. **प्रकरण क्र. 7230/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री शुभम गोयल, निवासी– हरियाणा भवन, पन्ना नाका, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.578 हेक्टेयर, खसरा 158/1क, ग्राम बारा पठार, तहसील नागोद, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

प्रकरण मे सिया की 712वी बैठक दिनांक 10.03.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 556वी बैठक दिनांक 02.03.2022 में उक्त प्रकरण को Delist किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से** SEAC की 556वी बैठक दिनांक 02.03.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया, तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 21.03.2022 के माध्यम से चाही प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. **प्रकरण क्र. 7229/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री सनी गोयल आत्मज श्री मोतीलाल गोयल, निवासी– हरियाणा भवन, पन्ना नाका, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.283 हेक्टेयर, खसरा 1032/2 1035/3, 3/1/क, 3/1/ख/3/1/ग, 3/1/घ, 3/2, 3/3, ग्राम गंगवारिया एवं सुकुलगांव, तहसील नागोद, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

प्रकरण मे सिया की 712वी बैठक दिनांक 10.03.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 556वी बैठक दिनांक 02.03.2022 में उक्त प्रकरण को Delist किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से SEAC की 556वी बैठक दिनांक 02.03.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया, तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 21.03.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. **Case No 6197/2019: Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (6000 cum per annum) (Khasra No. 139), Village - Nittarrii, Tehsil - Sagar, Dist. Sagar (MP) by Shri Kuldeep Udayniya, S/o Shri Kripashankar Udayniya, Village - Simrapari, Dist. Katni, MP**

This case was discussed in in 576 SEIAA meeting dated 21-10-19and it was recorded that..........

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

"............This case was discussed before committee as PP was informed to submit above information vide letter no 370 dated 17/06/2019 and reminder was also sent to the PP vide letter no. 635 dated 11/09/2019. PP so far has not submitted the desired information thus committee after deliberations decided that the case is recommended for delisting in the light of MoEF&CC OM file No. J-11013-5-2009-IA-II (part) dated 30/10/2012."

As per above observation of SEAC, it has been decided to delist the case on the condition that if PP intends to present the case in SEIAA, it will then be relisted for appraisal. Copy to PP and all concerned.

Project Proponent vide letter dated 21.10.2022 has requested to relist the case with submitting the the desired information (SEAC 378 dated 14.10.2019)
Note: PP has not submitted

- Revised EMP includes cost of fencing length & VT.
- Revised MO certificate as in the submitted certificate 02 mines are mentioned but area of only one mine is given

Commitment that crusher shall be located from the 100 meters away from the road

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 378वी बैठक दिनांक 14.10.2019 में चाही गई जानकारी जमा करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत भी चाही गई जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया, तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. प्रकरण कमांक 8396/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री लोकेश सिंह आत्मज श्री बाबूसिंह राजपूत, ग्राम असलावाडा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 5000 से 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 259, ग्राम कलमोदा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण मे सिया की 710वी बैठक दिनांक 08.03.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 552वी बैठक दिनांक 18.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया एवं परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों में निहित वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर मय छायाचित्र अक्षांश–देशांतर उल्लेखित कर Relist हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 23.03.2022 के माध्यम से प्रकरण को **Relist** किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. **प्रकरण क्र. 8694/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्रीमती पारस डागा पत्नि श्री विजय डागा, निवासी– मकान नं. 26, मारवाड़ी रोड़, बैंक ऑफ इंडिया के सामने, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 239 भाग, ग्राम मालीखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

प्रकरण मे सिया की 705 वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 699वी बैठक दिनांक 29.12.2021 में निर्णय लिया गया :–

.... हालही में दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 25.11.2021 एवं 26.11.2021 को भोपाल जिले के मालीखेडी क्षेत्र में वृहद स्तर पर अवैध उत्खनन के समाचार प्रकाशित हुए थे। उक्त प्रकरण भी मालीखेडी क्षेत्र में स्वीकृत खदान की पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित है। पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने के पूर्व जिला स्तर पर एक दल गठित कर स्थल निरीक्षण करवाते हुए यह सुनिश्चित किया जाना उचित होगा कि उक्त प्रस्तावित खदान क्षेत्र में वगैर पर्यावरण स्वीकृति के अवैध उत्खनन हुआ है अथवा नहीं। जॉच दल से 15 दिवस की अवधि में प्रतिवेदन प्राप्त कर SEIAA को वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने हेतु जिला कलेक्टर भोपाल को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित विभाग से चाही गई उपरोक्त जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः प्रकरण को डिलिस्ट किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 15.03.2022 के माध्यम से नोटराइज्ड सपथ पत्र पर प्रस्तुत किया गया है कि इसके द्वारा कोई उत्खनन कार्य नही किया गया है एवं प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. **प्रकरण क्र. 8858/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री आकाश शर्मा आत्मज श्री आनंद शर्मा, निवासी–ग्राम बडागांव जागीर, मोहना, जिला ग्वालियर (म.प्र.)–475330 द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.673 हेक्टेयर, खसरा 1956/4/3/मिन–1, 1956/4/5/मिन–1, 1956/4/4 मिन–1ग्राम बडागांव जागीर, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

SEIAA की 707वी बैठक दिनांक 23.02.2022 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 07.03.2022 को जारी किया गया है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 14.03.2022 के माध्यम से SEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 07.03.2022 में निम्नानुसार संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है :–

1. खसरा क्र. 1956/4/4 मिन–1 को जोड़ा जाये।
2. ग्राम बड़ागांव जांगीर के स्थान पर ग्राम बड़ागाव किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को मान्य करते हुए विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEIAA द्वारा उक्त प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 07.03.2022 में उल्लेखित खसरा क्र में संशोधन कर 1956/4/3/मिन–1, 1956/4/5/मिन–1, 1956/4/4 के साथ 1956/4/4 मिन–1 को सम्मिलत किया जाता है एवं ग्राम का नाम बड़ागांव जांगीर के स्थान पर ग्राम बड़ागाव पढा जायें। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. प्रकरण क्र. 8904/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि., अधिकृत व्यक्ति, श्री कोटा कृष्णा प्रवीन, मकान नं. 248, शक्ति नगर, जिला भोपाल (म.प्र.)–462022 द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 209820 घन प्रतिवर्ष, रकबा 20.995 हेक्टेयर, खसरा 263/212, ग्राम महुखेड़ा, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

SEIAA की 705वी बैठक दिनांक 15.02.2022 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण में ToR पत्र दिनांक 26.02.2022 को जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 12.03.2022 के माध्यम से SEIAA द्वारा जारी ToR पत्र दिनांक 26.02.2022 में ग्राम का नाम महुखेड़ा के स्थान पर महुकला किये जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को मान्य करते हुए विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEIAA द्वारा उक्त प्रकरण में जारी ToR पत्र दिनांक 26.02.2022 में उल्लेखित ग्राम का नाम महुखेड़ा के स्थान पर महुकला पढा जायें। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

20. प्रकरण क्र. 8753/2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जैन इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रो. श्री पंकज जैन् आत्मज श्री धरमचंद जैन, निवासी–घंसौर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र.)–480997 द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 24,225 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.72 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 227, ग्राम बिनैकीकलॉ, तहसील घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

SEIAA की 705वी बैठक दिनांक 15.02.2022 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 01.03.2022 को जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 13.03.2022 के माध्यम से SEIAA द्वारा जारी EC पत्र दिनांक 01.03.2022 में लीज स्वीकृति पत्र की दिनांक 02.01.2021 के स्थान पर 16.08.2021 करने का निवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को मान्य करते हुए विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEIAA

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

द्वारा उक्त प्रकरण में जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 01.03.2022 में उल्लेखित लीज स्वीकृति पत्र की दिनांक 02.01.2021 के स्थान पर 16.08.2021 पढा जायें। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

21. **प्रकरण क्रमांक 8308/2021** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स के.जे.एस. सीमेंट लि., एन.एच. 7 रोड़, राजनगर, मैहर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता लाईमस्टोन 500000, ओवरबर्डन व वेस्ट 60000 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1024, 1025, 1026, 1027/1, 1027/2, 1028, 1029, 1030, 1033, 553, 554, 556, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561, 624, रकबा 23.230 हेक्टेयर, ग्राम भदनपुर साउथ पट्टी, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

SEIAA की 710वी बैठक दिनांक 08.03.2022 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त प्रकरण में लीज वैधता गलत अंकित हो गई है जिसमें म.प्र. खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 22.03.2005 के द्वारा 20 वर्ष (दिनांक 02.05.2005 से 01.05.2025) के स्थान पर कार्यालय कलेक्टर कटनी द्वारा निष्पादित पूरक अनुबंध पत्र दिनांक 23.06.2021 अनुसार 50 वर्ष (दिनांक 02.05.2005 से 01.05.2055) अनुसार किया जाना है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को मान्य करते हुए विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEIAA की 710वी बैठक दिनांक 08.03.2022 के कार्यवाही विविरण में उक्त प्रकरण में उल्लेखित लीज वैधता में म.प्र. खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 22.03.2005 के द्वारा 20 वर्ष (दिनांक 02.05.2005 से 01.05.2025) के स्थान पर कार्यालय कलेक्टर कटनी द्वारा निष्पादित पूरक अनुबंध पत्र दिनांक 23.06.2021 अनुसार 50 वर्ष (दिनांक 02.05.2005 से 01.05.2055) पढा जायें। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. **प्रकरण क्र. 8923/2021** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स परिहार स्टोन क्रेशर, प्रोपराईटर, श्री अवधेश प्रताप सिहं, सिंचाई कॉलोनी, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.650 हेक्टेयर, खसरा 650/1क, ग्राम भानपुर, तहसील अजयगढ़, जिला छतरपुर (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

SEIAA की 707वी बैठक दिनांक 23.02.2022 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 07.03.2022 को जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 11.03.2022 के माध्यम से SEIAA द्वारा जारी EC पत्र दिनांक 07.03.2022 में जिला छतरपुर के स्थान पर जिला पन्ना किये जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को मान्य करते हुए विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEIAA द्वारा उक्त प्रकरण में जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 07.03.2022 में उल्लेखित प्रस्तावित

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

खदान के जिला छतरपुर के स्थान पर जिला पन्ना पढा जायें। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

23. **प्रकरण क्र. 7446/2020** : परियोजना प्रस्तावक श्री हेमेन्द्र पटेल, ग्राम–झाबुआ, तहसील – झाबुआ, जिला – झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9522 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.900 हेक्टेयर, खसरा 519/1, 662/2, ग्राम गडवानी व देवझीरी पाडा, तहसील झाबुंआ, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण मे सिया की 710 वी बैठक दिनांक 08.03.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 552 वी बैठक दिनांक 18.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से म.प्र गौड़ खनिज नियम, 1996 के अंर्तगत नियम 4 मे उप नियम (4) में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित संशोधन दिनांक 22 जनवरी 2021 के परिपालन में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खदान का क्षेत्र 1 हेक्टेयर से कम है, अतः प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है।** प्रकरण निरस्त मान्य किया जाता है, **परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 16.02.2022 के माध्यम से म.प्र. गौण खनिज नियम 23.03. 2013 एवं 22.01.2021 की प्रति संलग्न कर नियमानुसार प्रकरण पर पुर्न विचार किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाये। प्रकरण में SEIAA द्वारा पूर्व में लिया गया निर्णय यथावत रहेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

24. **प्रकरण क. 9076/22** परियोजना प्रस्तावक श्री भरत चौहान आत्मज श्री बिहारीलाल चौहान निवासी ग्राम शंकरगढ तहसील व, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 3.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 409/1, 197/1 ग्राम खटाम्बा, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) **की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण,** श्री पप्पू चंद्र गौड़ निवासी बालगढ शंकरगढ, जिला देवास (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में **पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 3.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 409/1, 197/1 ग्राम खटाम्बा, तहसील देवास, जिला देवास** (म.प्र) परियोजना प्रस्तावक **श्री भरत चौहान आत्मज श्री बिहारीलाल चौहान निवासी ग्राम शंकरगढ तहसील व, जिला देवास** (म.प्र) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 211/डीईआईएए/18 दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से **श्री भरत चौहान आत्मज श्री बिहारीलाल चौहान निवासी ग्राम शंकरगढ तहसील व, जिला देवास** (म.प्र) के नाम पर जारी की गई है।

(3) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक **श्री भरत चौहान आत्मज श्री बिहारीलाल चौहान निवासी ग्राम शंकरगढ तहसील व जिला देवास** (म.प्र) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **श्री पप्पू चंद्र गौड़ निवासी बालगढ शंकरगढ, जिला देवास** (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स **श्री पप्पू चंद्र गौड़ निवासी बालगढ शंकरगढ, जिला देवास** (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 211/डीईआईएए/18 दिनांक 28.03.2018 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 2298 दिनांक 18.11.2021 (वैधता 04.04.2028 तक) की प्रति।

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- *A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases*

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 211/डीईआईएए/18 दिनांक 28.03.2018 **के माध्यम से** श्री भरत चौहान आत्मज श्री बिहारीलाल चौहान निवासी ग्राम शंकरगढ तहसील व, जिला देवास **(म.प्र.) के नाम पर** पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), एरिया 3.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 409/1, 197/1 ग्राम खटाम्बा, तहसील देवास, जिला देवास **(म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री पप्पू चंद्र गौड़, निवासी –बालगढ शंकरगढ, जिला देवास (म. प्र.) के नाम इस शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 25.11.2017 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेगी।**

I. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

25. **Case No 9046/2022:** Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, from 800 beds to 1400 beds in the existing premises itself at Khasra No. – 8, 14/1, 14/1/1, 14/1/2, 15, 15/2, 8, 26/2, Village - Bhanwrasla, Tehsil - Sanwer, Distt. – Indore (M.P.) Total Plot Area: 14.78 ha, Total Plot Area: 14.78 ha, Total Built--up Area: 1,42,770.16 sqm (Hospital Area = 33525.34 sqm, Institutional Area = 66497.46 sq.m & Residential Area = 42747.36 sqm) by Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, Dr. Mahak Bhandari, Authorised Signatory, SAIMS Hospital, Indore - Ujjain State Highway, Gram - Bhanwrasla, Tehsil - Sanwer, Distt. Indore, (M.P.) – 453555.

1. The project is proposed for Expansion of Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences by increasing number of beds from 800 to 1400 beds as per amended norms of guideline of National Medical council.
2. Earlier EC issued by MPSEIAA (case no. 5710/2018) vide letter no. 2030 dated 05.09.2019 under the violation project as per MoEF& CC Notification dated 08.03.2018. After the implementation of remediation & augmentation plan bank guarantee has been released by MPPCB after recommendation of SEIAA.
3. PP has submitted compliance report of earlier EC certified by Regional office, MoEF & CC.
4. The case was considered in 560th SEAC meeting dated 12.03.22 and recommended for EC.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5. After the recommendation of SEAC today the case was discussed and recorded that :-

Salient feature of the project :

ProjectProposal	Environmental Clearance for PROPOSED 1400 BEDDED SAIMS HOSPITAL
Total Plot Area	1,47,880.00 sq.mt
Total Built upArea	1,42,770.16 sq.mt
Occupancy	In possession ofProponent
GeologicalLocation	Latitude 22°47'58.23"N Longitude 75°50'29.90"E
Estimated ProjectCost	INR 224.50 crores
Ground coverage	Permissible ground coverage @ 25% = 36,970.00 sq. mt. Proposed ground coverage @ 17.79% = 26,302.32 sq. mt.
Paved Area	6,211.00 Sqm
Parking	Open parking-1706 ECS Total-1706 ECS
Green Area	48,800.00 Sqm (33%)
Total proposed STPcapacity	650 KLD + 125 KLD = 775 KLD
Total proposed ETP capacity	50 KLD + 150 KLD = 200 KLD

6. Comparative features of Existing and proposed features:

PARTICULARS	EXISTING	PROPOSED	TOTAL PROPOSED
Total Plot Area	1,47,880.00 sq.mt	1,47,880.00 sq.mt	**No Change**
Total Built-up Area	1,42,770.16 sq.mt	1,42,770.16 sq.mt	**No Change**
Total Solid Waste	1428 kg/ day	746 Kg/day	2174 Kg/day
Power Requirement	1310 KW	0.00 KW	1310 KW
DG set details	DG set of 250 KVA in 2 no.,62.5 KVA in 1 no.,35 KVA in 1 no. & 500 KVA in 1 no.	0.00	DG set of 250 KVA in 2 no.,62.5 KVA in 1 no.,35 KVA in 1 no. & 500 KVA in 1 no.
Water Requirement in KLD	Total Water Requirement= 702.9 KLD Fresh water requirement= 451.20 KLD Fresh Water: 451.20 KLD Flushing: 251.7 KLD Sewage Gen: 650 KLD	Total Water Requirement= 287.1 KLD Fresh water requirement= 75.80 KLD Fresh Water: 75.80 KLD Flushing: 101.30 KLD Sewage Gen: 125 KLD	Total Water Requirement= 970 KLD Fresh water requirement= 527 KLD Fresh Water: 527 KLD Flushing: 353 KLD Sewage Gen: 775KLD

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Number of Beds	800 Beds	600 Beds	1400 Beds
Sump well & OH Tank STP & ETP Rainwater Harvesting Garbage Disposal Service Block (Substation, DG Set, etc.)	U G Sump – 58.17 KL, 34.14 KL,16.21 KL KLD , Fire Fighting: 55.5 KL, 95.32 KL STP-650 KLD & ETP- 50 KLD 21 No of RWH Pits Yes, as per norms Yes, as per norms	STP- 125 KLD & ETP- 150 KLD	U G Sump – 58.17 KL, 34.14 KL,16.21 KL KLD , Fire Fighting: 55.5 KL, 95.32 KL STP-775 KLD & ETP- 200 KLD 21 No of RWH Pits Yes, as per norms Yes, as per norms
Front MoS/Rear MoS	12 MTS/9 MTS	12 MTS/9 MTS	No Change
Height of Building	18.0 MTS	18.0 MTS	No change

7. प्रोजेक्ट के एरिया/क्षेत्रफल तथा निर्मित क्षेत्र में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है सिर्फ विस्तरों की क्षमता 800 बेड से 1400 बेड बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव नेशनल मेडिकल कौंसिल की मार्गदर्शिका में परिवर्तन के कारण किया जा रहा है जिसमें एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी पूर्व कम से कम 05 फीट निर्धारित थी जो अब 03 फीट हो गई है । उपरोक्त मार्गदर्शिका को ध्यान में रखते हुए बेड क्षमता बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। बेड क्षमता का विस्तार होने के कारण 02 अतिरिक्त संयत्र, घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र 125 केएलडी तथा औद्योगिक दूषित जल उपचार संयंत्र 150 केएलडी का लगाया जायेगा । इस क्षमता विस्तार के कारण बढ़ी हुई मात्रा के जीव चिकित्सकीय अपशिष्ठ इंदौर में स्थापित सी.बी.डब्लू.टी.एफ. में निष्पादित कराये जायेंगे जिसके वह पूर्व से ही सदस्य हैं।
8. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 31.2 Cr as capital and Rs. 1.33 Cr as recurring cost for this project.
9. For this project PP has proposed Rs 12.50 lakh as Corporate Environment Responsibility (CER) under following activities:
   - Plant 2500 No. of trees @ INR 300/ tree within the campus and on the banks of Kshipra & Khan river confluence point including plantation of khas slips & Nagarmotha on river bank through Forest Department, Ujjain.
   - Following activities will be taken in Nahar Jhabua village @ INR 5,00,000/ year under following schemes:
     a. Health checkups camps twice a year at Nahar Jhabua Village.
     b. Awareness towards oral hygiene in Nahar Jhabua village.
     c. Free medicine distribution at Nahar Jhabua village.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

d. Pediatric camps and diet supplements for newly born children at the village Nahar Jhabua.

e. Dietary advice to avoid malnutrition and diet supplements at the village Nahar Jhabua.

The clarification made by the PP (Dr. Mahak Bhandari, Authorised Signatory, SAIMS Hospital, Indore) and Environment consultant (Shri shubham Dubey, Envisolve LLP, Indore) were found to be satisfactory hence it is decided to accept the recommendations of 560th SEAC meeting dtd. 12.03.22 with special conditions and accord Prior Environmental Clearance for proposed Expansion of Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, from 800 beds to 1400 beds in the existing premises itself at Khasra No.– 8, 14/1, 14/1/1, 14/1/2, 15, 15/2, 8, 26/2, Village - Bhanwrasla, Tehsil - Sanwer, Distt. – Indore (M.P.) Total Plot Area: 14.78 ha, Total Built--up Area: 1,42,770.16 sqm (Hospital Area = 33525.34 sqm, Institutional Area = 66497.46 sq.m & Residential Area = 42747.36 sqm) by Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, Dr. Mahak Bhandari, Authorised Signatory, SAIMS Hospital, Indore - Ujjain State Highway, Gram - Bhanwrasla, Tehsil - Sanwer, Distt. Indore, (M.P.) – 453555 subject to following specific conditions imposed by SEIAA:-

1. The fresh water supply arrangement should be met through Municipal Corporation and there should no extraction of ground water.
2. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
3. **Disposal of waste water.**
   a. Sewage shall be treated in the STP based on MBBR Technology with tertiary treatment i.e. Ultra Filtration. The Treated effluent from STP shall be recycled /reused for flushing and Gardening
   b. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
   c. Zero discharge should be maintained for generated waste water.
4. **Solid & Bio-medical Waste Management:**
   a. Separate wet and dry bins must be provided at the ground level for facilitating segregation of waste.
   b. The solid waste generated should be properly collected and segregated. Wet garbage should be composted and dry inert solid waste should be disposed off to the approved sites for land filling after recovering recyclable material.
   c. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

d. Ensure linkage with Municipal Corporation for final disposal of MSW.

e. Bio-medical waste should not be mixed with MSW. ETP sludge shall be disposed at approved TSDF and Bio medical waste should be disposed off through CBWTF unit as per agreement.

f. Separate space should be provided for collection & storage Bio-medical waste.

g. Transportation and handling of Bio-medical Wastes shall be as per the Biomedical Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 including the section 129 to 137 of Central Motor Vehicle Rules, 1989.

5. For firefighting:-

a. PP should ensure the distance of the fire station is approachable from the project site.

b. PP should provide an underground water storage tank, External Fire Hydrant System, Wet Riser System, Portable Fire extinguisher, Sprinkler System, & Fire Alarm system etc. as per NBC 2016.

c. PP should submit necessary drawings and details to the Authority (Nagar Nigam, Indore) incorporating all the fire fighting measures recommended in National Building Code 2016. The occupancy permit shall be issued by Nagar Nigam only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.

6. For Energy Conservation PP should Ensure :-

a. electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy

b. PP should adopt advance technology by installing medical instrument with less requirement of electricity.

c. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures, and other energy efficient equipments.

7. Green belt :-

a. Total 1786 trees has been already planted in the area of 48,800 m^2 (32.99 % of total plot area) which is developed as greenbelt development.

b. Regular maintenance and proper arrangement should be done for maintain the greenery around the project site.

26. प्रकरण कमांक 6350/2019 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अमेजान माईनिंग प्रा.लि., निर्देशक श्री राज कुमार खुराना, आर.जेड 152, राज नगर, पार्ट 02, पलम कॉलोनी, नई दिल्ली, द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 278775 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 769 भाग, रकबा 7.45 हेक्टेयर, ग्राम रेहदा, तहसील चितंरगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 558वी बैठक दिनांक 04.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल जिला सिंगरौली के पत्र क्र. 1030 दिनांक 28.02.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली द्वारा का पत्र क. 1601 दिनांक 02.03.2019 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 85 किलो लीटर प्रतिदिन है (10 केएलडी हरित पट्टी विकास + 58 केएलडी धूल धमन हेतु + 02 केएलडी पेयजल हेतु + 15 केएलडी ड्रिलिंग हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 10630 पेड़ बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, शासकीय विधालय इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 12.08.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम पंचायत, ग्राम रेहदा, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली में अपर कलेक्टर, सिंगरौली की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री संतोष खंटाल, क्रियेटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल द्वारा प्रकरण में प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 558वी बैठक दिनांक 04.03.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पर्यावरणीय संवेदनशीलता जैसे मानव बसाहट, नदी, तालाब, नहर, डैम, जलाशय, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट राजमार्ग, पक्की सड़क, रेल्वे लाईन/एरिया, ब्रिज, इत्यादि सें खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है, जिसका परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 534 जीवित पेड़ों में से सिर्फ 29 पेड़ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही काटे जायें एवं इसके एवज में 290 अतिरिक्त पेड़ों का रोपण किया जायेगा व उनका रखरखाव किया जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

IV. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार .अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 10630 पौधों का रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित पौध प्रजाति एवं स्थलों पर ही रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम रेहादा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में किचन प्लेटफार्म, 02 शौचालय का निर्माण किया जाये एवं स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत व रंगरोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम रेहादा में एक बोरबैल तथा 05 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित किया जाये।
- खदान क्षेत्र के समीपस्थ ग्राम में 20 मकानों में एक किलोवॉट का सोलर पैनल स्थापित किया जाये।
- ग्राम पंचायत के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिबद्धता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अमेजान माईनिंग प्रा.लि., निर्देशक श्री राज कुमार खुराना, आर.जेड 152, राज नगर, पार्ट 02, पलम कॉलोनी, नई दिल्ली, द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 278775 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 769 भाग, रकबा 7.45 हेक्टेयर, ग्राम रेहदा, तहसील चितंरगी, जिला सिंगरौली (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली द्वारा का पत्र क. 1601 दिनांक 02.03.2019 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.03.2029 तक मान्य रहेगी।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजंन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपौर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खंनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

<u>परिशिष्ट–3</u>

गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
5. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
9. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वियन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

15. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
16. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–4

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

11. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।

13. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।

19. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

22. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

25. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

26. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष